तारीख हुक्म	(1) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.5.18	**न्याय आपके द्वार अभियान - 2018** पत्रावली कैम्प कोर्ट लवाण में पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजिर पूर्व में गवाह किशनलाल, कालू व रामस्वरूप के बयान पेश किये। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जिरह नहीं करना जाहिर किया व साक्ष्य को पेश नहीं करना जाहिर किया। अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवाण के खातेदारी खसरा नम्बर 3203 बंदोबस्त खसरा नम्बर 4153 हाल खसरा नम्बर 874 (0.28), 876 (0.35) की आराजी के मूल खातेदार हजारी व धीसा पुत्र नन्दा द्वारा बैनामा कर पंजीयनीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5.6.1972 को काबिज व दखल सौंप दिया था किन्तु वादग्रस्त आराजी विक्रयपत्र की रूह से वादीगण के नाम बंदोबस्त जमाबन्दी व हाल जमाबन्दी में दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी जिसकारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलन्दाजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे व वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 9 ने जवाब	(हस्ताक्षर)

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने कभी भी विवादित आराजी का विभाजन पूर्वजों के वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं किया है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम और खातेदारी के रही है तथा वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त भी नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र में वादग्रस्त आराजी के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर का भी अंकन है। इन खसरा नम्बरों का कब्जा हुआ यह वादी ने स्पष्ट नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी 2007 से ही खातेदारी से खातेदारी हुई है।

अतः वादग्रस्त आराजी से वादीगण का विधि विरुद्ध कब्जा हटाया जावे व वादी गण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रकरण राज. सरकार ने कोई कार्यवाही के जवाब पेश किया

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक कुमशुदा है?

— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी घोषित के अधिकारी है?

— वादी

Scanned by CamScanner

ए.मु.पी. 221-12-2010-5,00,000 फार्म

APP-A
crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

किस्म मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
(3)	वादीगण ने वाद के समर्थन में साक्ष्य अभिलेख, विक्रयपत्र पेश किये एवं उमराव लाल, किशनलाल, राधावल्लभ के शपथपत्र पेश किये। पुलिस विभाग ने कोई जवाब ~~दस्तावेज~~ पेश नहीं किये व दस्तावेज पेश किये। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत है. तनकी संख्या 1 व 2 उक्त दोनों तनकी के सारभूत बिन्दु समान होने के कारण दोनों तनकियात का विवेचन एक साथ किया जाना उचित है। विक्रयपत्र अनुसार इन्द्राज, धीसा पि. नन्दा ने दिनांक 15.6.1978 को पंजीकृत विक्रयपत्र उक्त पशकता अब्दुल के नाम बही सं. न. 415 दिनांक 3-1-78 को आराजी वादीगण /	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रवेशों को बैनामा का दी गयी कि आराजी के खाता संख्या 824 के ख0न0 1153/3-170 विक्रेतागण के वारिसों के नाम गैर खातेदारी दर्ज है उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 874 रकबा 0.28 व 876 रकबा 0.35 खाता संख्या 697/640 के प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 11.1.07 द्वारा प्राप्त हुये है।

वादग्रस्त आराजी दिनांक 11.1.07 से पूर्व गैर खातेदारी में थी ऐसी स्थिति में उसका विक्रय किया जाना अविधिक है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे विक्रय दिनांक को मूल विक्रेता या उनके वारिसों की खातेदारी में दर्ज हो। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण को गैर खातेदारी के रूप में प्राप्त हुयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2035-38 व तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट अनुसार आराजी मुतनाजा के मौजूदा खसरा नम्बर 3203 रकबा 13-30 सिवायचक खाते में दर्ज है। अतः वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक कब्जा नहीं है व वर्तमान इन्जाक्शन प्रथमदृष्टया सिद्ध नहीं होता है। तसकीयात विवाद वादी बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरोक्तानुसार ग्राम उन्नाव के हाल खाता नम्बर 874 रकबा 0.28 व 876 रकबा 0.35 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पत्रावली पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो व दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : उन्नाव	

Scanned by CamScanner